फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

अनीतादेवी **बनाम** ग्राम पंचायत रायवाड़ी

मुकदमा संख्या / वर्ष : 07 / 2019

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	7/1/21	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थीया व पेशकार सरकार की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल फाइल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल रिकॉर्ड हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:32:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
पीठासीन श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

अपील स० - 07/2019

1- श्री मति सुनीता देवी पत्नि मुकेश कुमार आयु 31 वर्ष जाति मीना निवासी गठवाड़ी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर

.... अपीलार्थी

बनाम

1- ग्राम पंचायत गठवाड़ी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गठवाड़ी तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर)

2- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला - जयपुर

... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत [illegible] लैण्ड रेवेन्यु एक्ट [illegible] नामान्तकरण आदेश स[illegible] दिनांक 20/7/2011 ग्राम पंचायत [illegible]

निर्णय

दिनांक [illegible]/01/2021

अपीलार्थी ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट विरुद्ध नामान्तकरण आदेश संख्या 852 दिनांक 20/7/2011 ग्राम पंचायत गठवाड़ी द्वारा पारित आदेश के पेश की। अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम गठवाड़ी तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के खसरा नम्बर 62 रकबा 1 बिगा, खसरा नम्बर 65 रकबा 5 बिघा

P.T.O.

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:32:30 IST
Reason: SelfAttested

अपील सं० 07/2019

अनीता देवी बनाम ग्राम पंचायत गढवाडी

(2)

ख०न० 69 रकबा 13 बिस्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 19 बिस्वा, सम्पूर्ण व ख०न० 58 रकबा 5 बिस्वा हिस्सा 1/2 की खातेदारी पूर्व गंगादेवी पत्नि मिठाराम मीणा निवासी गढवाडी तहसील जमवारामगढ (जयपुर) की थी। जिसे अपीलार्थी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 4/4/2011 को मूल खातेदार गंगादेवी से क्रय की थी। जो कि उप पंजीयक कार्यालय जमवारामगढ में दिनांक 4/4/2011 को पुस्तक संख्या-1 जिल्द सं०-30 में पृष्ठ संख्या-68 क्रम संख्या-2011000627 पर पंजीबद्ध किया गया। अतिरिक्त पुस्तक संख्या-1 जिल्द सं०-119 के पृष्ठ संख्या-79 से 86 पर चस्पा किया गया था इस प्रकार अपीलार्थी उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त विक्रय पत्र के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 852 भरते समय नामान्तकरण की कालम संख्या-9 में क्रेता का नाम अनीता देवी धर्म पत्नि मिठाराम मीणा सा०देह सहवन से अंकित कर दिया गया एवं गिरदावर ने मिलान कर दिया तथा तत्कालीन सरपंच द्वारा उपरोक्त सहवन से हुई त्रुटि को नजर अंदाज करते हुऐ दिनांक 20/07/2011 को उपरोक्त नामान्तकरण स्वीकार कर दिया जिसके विरूद्ध अपील पेश की है

उक्त वर्णित भूमि अपीलार्थी ने जरिये विक्रय पत्र से क्रय की थी उसी विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का को नामान्तकरण की कार्यवाही करनी थी लेकिन हल्का पटवारी के नामान्तकरण की कालम ~~संख्या~~ 9 में क्रेता अनीता देवी धर्म पत्नि मुकेश कुमार मीणा के विक्रय पत्र से बाहर जाते हुऐ अनीता देवी धर्मपत्नि मीठाराम मीणा दर्ज कर दिया ... ने बिना जांच किये मिलान कर दिया ... ग्राम पंचायत ने बैठक दिनांक ... प्रस्ताव संख्या-2 के द्वारा ... नामान्तकरण को स्वीकार कर दि... के आदेश विधि विधान, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। ना ही तो अपीलार्थी को सुना ना ही विक्रय पत्र की जांच की उक्त नामान्तकरण स्वीकार

(हस्ताक्षर)
(... मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:32:30 IST
Reason: SelfAttested

अपील स० 07/2019

अनीता देवी बनाम ग्राम पंचायत गठवाड़ी

(3)

कर अनियमित रूप से क्षेत्राधिकार विहीन आदेश पारित किये है जो निरस्तनीय है।

अत: अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नाधीन नामान्तकरण आदेश क्रमांक 852 दिनांक 20/7/2011 ग्राम गठवाड़ी जो ग्राम पंचायत गठवाड़ी द्वारा पारित किये गये को निरस्त फरमाया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 4/4/2011 के अनुसार क्रेता अनीता देवी धर्म पत्नि मुकेश कुमार मीणा, जाति मीणा ग्राम गठवाड़ी तहसील जमवारामगढ़ के नाम स्वीकार करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को प्रदान किये जावे।

उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पोंडेन्टस को पक्षिय नोटिस से तलब किया गया। दिनांक 25/2/2020 को ग्राम पंचायत गठवाड़ी की तलबी रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 4/9/2019 को कराई गई किन्तु अद्दिनांक तक उपस्थित नहीं। दिनांक 14/2/2020 को इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोंडेन्ट स० 2 को नोटिस तामील।

वकील अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेन्ट स० 2 की अपील पर बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है पटवारी हल्का ने मुताबिक विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तकरण स० 852 के कालम स० 9 में अपीलार्थी के पति का नाम मीणाराम दर्ज कर दिया जो मुताबिक विक्रय पत्र के विपरीत था। इसलिये नामान्तकरण संख्या 852 पर पारित आदेश दिनांक 20/07/2011 को [illegible] किया जाता है अपीलार्थी की अपील [illegible] कर तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि विक्रय पत्र दिनांक 4/4/2011 के अनुसार क्रेता अनीता देवी धर्मपत्नि मुकेश कुमार मीणा जाति

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwa[illegible]
Meena
Date: 2021.02.17 17:32:30
Reason: SelfAttested

(5)

जाति मीणा ग्राम गठवाडी तहसील जमवारामगढ़ का नाम स्वीकार करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwa
Meena
Date: 2021.02.17 17:32:3
Reason: SelfAttested